5 जनवरी 2024

मूल्य. 10.00 रुपये

मालवा-निमाड़


# जाग्रत मालवा


पंजीयन क्रमांक : MPHIN/2021/82532

मासिक जागरण पत्रिका


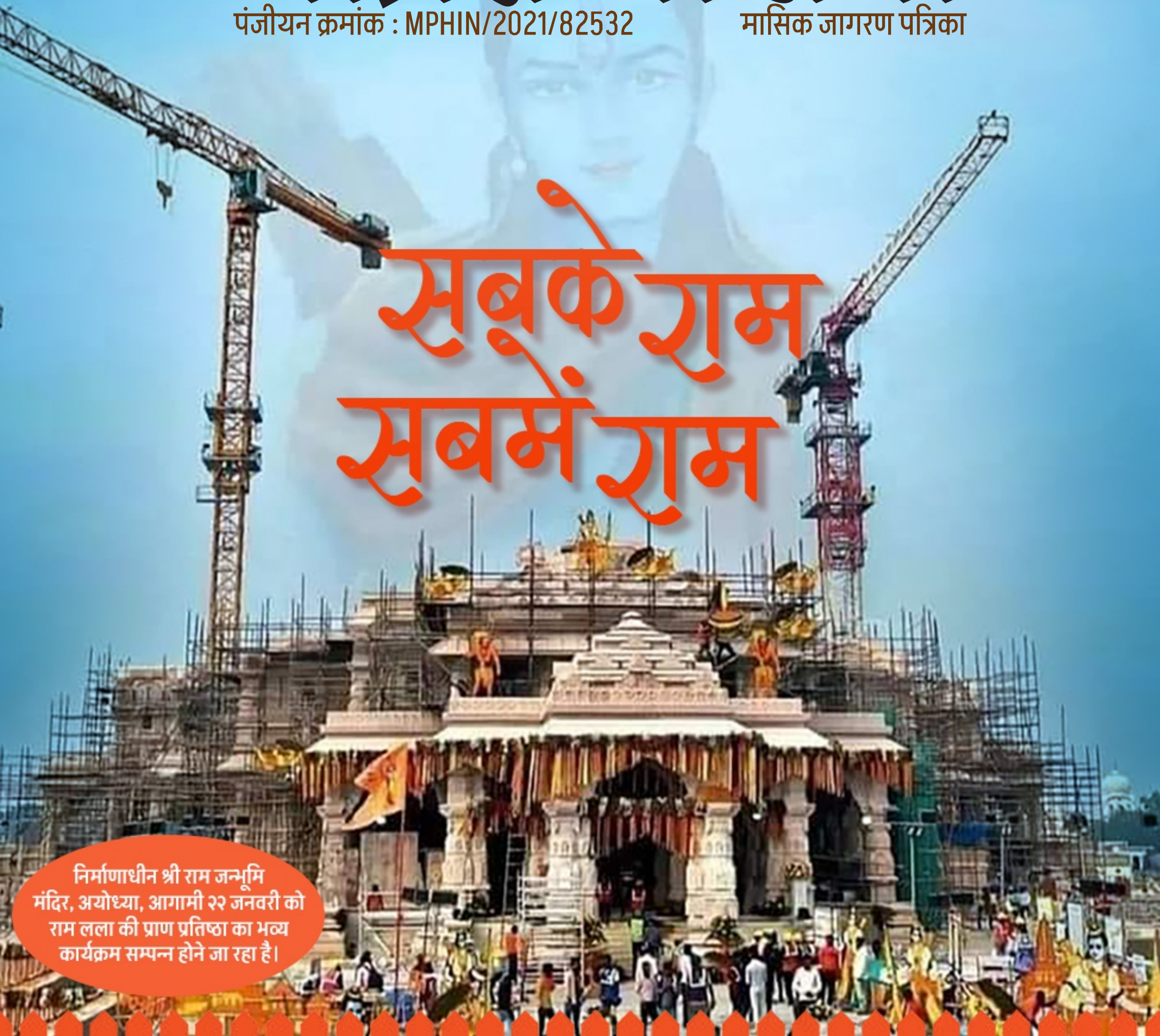


हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारा जन्म उस कालखंड में हुआ जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्री राम जी का मंदिर प्रत्येक भारतीय की श्रध्दा एवं स्वाभिमान का केंद्र बिंदु है।

Azadi Ka Amrit Mahotsav

SHAKTI
PUMPING LIFE

# सूर्य ही नई शक्ति

# शक्ति सोलर होम लाईट एंड चार्जिंग सिस्टम

सौर ऊर्जा का उपयोग एवं अपार फ़ायदों को सभी जानते है, और इसलिये हर जगह एवं हर क्षेत्र में इसका अस्तित्व दिखने लगा है. अब सौर ऊर्जा का उपयोग उद्योगों के साथ साथ घरेलु बिजली के उपयोग में भी होने लगा है.

शक्ति पत्पस् ने शक्ति सोलर होम लाईट एंड चार्जिंग सिस्टम को विकसित किया है.

MRP 29500/-

## शक्ति सोलर होम लाईट एंड चार्जिंग सिस्टम

- 150 वॉट का एक सोलर पेनल
- लिथीयम एंड फास्फेट (LFP) बैटरी 60 Ah
- MPPT चार्ज कंट्रोलर 20 A
- डीसी सिलिंग फैन
- 02 व्हाईट एलईडी बल्ब 6 वॉट

### विशेषताएं

शक्ति सोलर होम लाईट एंड चार्जिंग सिस्टम में एक बार का निवेश जो आपको साल-दर-साल फायदा पहुंचाएं.

- बिजली के बिल में कमी
- लम्बे समय तक चले
- भरोसेमंद एवं बाधा रहित परफॉर्मेंस
- रख-रखाव एवं चलाना आसान
- पर्यावरण-अनुकूल
- प्रचुर मात्रा में उपलब्धता
- परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोतों पर निर्भरता से मुक्त
- सरल संचालन
- लिथियम बैटरी की लाईफ अन्य सामान्य बैटरी की तुलना में अधिक है एवं यह बहुत जल्दी चार्ज होती है.

### सोलर कंट्रोलर की विशेषताएं

- HIGH PERFORMANCE CHIP
- MULTIPLE PROTECTION
- AUTOMATIC RECOGNITION
- LIGHT EFFICIENCY TIME CONTROL
- PWN CHARGE
- SIMPLE INSTALLATION

### कार्यप्रणाली

India : Toll Free No. 1800 103 5555

## शक्ति पम्पस् (इंडिया) लिमिटेड

सेक्टर - 3, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर, जिला-धार (म.प्र.) - इंडिया फोन.: +91-7292-410500
ई-मेल: info@shaktipumps.com, वेब: www.shaktipumps.com. टोल फ्री नं.: 1800 103 5555

* नियम व शर्तें लागू

जाग्रत मालवा
इन्दौर दिनांक 5 जनवरी 2023 मासिक जागरण पत्रिका

मासिक जागरण पत्रिका
शीर्षक (टाईटल) पंजीयन MPHIN/2021/82532
वर्ष : 03 अंक : 07
•••
पौष
युगाब्द ५१२५

**प्रधान संपादक**
देवकृष्ण व्यास
**संपादक**
अरुण सपकाले
**संपादक मंडल**
डॉ. सुब्रतो गुहा
डॉ. सोनाली नरगुन्दे
डॉ. रत्नदीप निगम
डॉ. उत्तम मीणा
अशोक वर्मा
राकेश दांगी
राजेश सोनी
•••

**मुख्य कार्यालय**
**जाग्रत मालवा**
जी-1, केसरदीप एवेन्यू
72, नारायण बाग, इन्दौर (म.प्र.)
पिन कोड : 452007
फोन : 0731-3551341
•••
**Email :**
jagratmalwa@gmail.com
jagratmalwa

स्वामी - विश्व संवाद केन्द्र के लिए प्रकाशक और मुद्रक दिनेश गुप्ता द्वारा मुद्रांकण ऑफसेट ए-11/डी पोलोग्राउंड इंदौर म.प्र. से मुद्रित एवं 72, नारायण बाग, जी-1, केसरदीप एवेन्यु इन्दौर म.प्र. से प्रकाशित। संपादक अरुण सपकाले फोन नं. 0731-3551341

# अपनी बात

ॐ

हम सभी भातरवासी अत्यन्त सौभाग्यशाली हैं। हमने जिस काल में जन्म लिया वह भारत का अमृतकाल तो है ही साथ ही अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी भी बनेंगे। इस पावन दिन के लिये लाखों लोगों ने बलिदान दिये। जैसा कि हम सबको विदित है कि पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार (दिनांक 22 जनवरी 2024) को श्रीरामलला भव्य मंदिर में विराजित होंगे। यह एक ऐसा पुनीत अवसर है जब अयोध्या में ही नहीं सम्पूर्ण भारत सहित विश्व में जहाँ-जहाँ सनातनी रहते हैं सबके लिए अत्यन्त आनन्द का वातावरण होगा।

राम के बिना राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि भारत की आत्मा राम है अर्थात् राम ही राष्ट्र है और अयोध्या का राम मंदिर ही राष्ट्र मंदिर है। राम भारत के राष्ट्र पुरुष के साथ साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। श्रीराम हम सबके लिए आदर्श हैं। हर पिता चाहता है कि उनके यहाँ राम जैसा पुत्र जन्म ले। अगर राजनैतिक दृष्टिकोण से सोचें तो प्रत्येक शासक चाहता है कि उसके यहाँ रामराज्य जैसा शासन हो। राम मंदिर निर्माण के साथ हमारी भावना यही है कि भारत वर्ष में रामराज्य की पुनर्स्थापना हो और वह अब साकार होता दिख रहा है। राम का संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक दृष्टि से भी श्रीराम का आदर्श और समर्पण भाव हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। श्रीराम का जीवन संघर्ष और समर्पण से भरा है। भारत का जनमानस श्रीराम के गुणों का समुच्चय है।

जन चर्चा में यह भी कहते सुना है कि मित्र हो तो राम जैसा और शत्रु भी हो तो राम जैसा, क्योंकि श्रीराम के मन में शत्रु के लिए भी कल्याण की भावना ही रहती है। ऐसा आदर्श हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता।

सैकडों वर्षों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर में श्रीरामलला विराजमान होंगे, यह गौरवमय क्षण हम अपनी आँखों से देखेंगे, तो आइये इस अवसर को हम अविस्मणीय बना दें। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी कर सकें, परिवार और समाज के साथ मिलकर, हमें जो भी सूचना मिले उसका पालन कर इस पावन अवसर का श्रद्धा के साथ निर्वहन करें।

**घर बन जाये मंदिर अपना, ऐसा इसे सजायेंगे।**
**जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में, रामलला विराजेंगे।।**

# श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर से जुड़े तथ्य

**01. विवाद के बिन्दु**

(1) अयोध्या का विवाद सामान्य मन्दिर-मस्जिद का विवाद नहीं है।

(2) यह भगवान की जन्मभूमि को प्राप्त करने का संघर्ष है, तथा यह जन्मस्थान स्वयं में एक देवता है और देवता का विभाजन नहीं हो सकता। जन्मस्थान पर विराजित रामलला विराजमान एक विधिक प्राणी है, शाश्वत नाबालिग हैं। भगवान की संपत्ति पर किसी दूसरे का स्वामित्व नहीं हो सकता।

(3) जन्मभूमि अपरिवर्तनीय है। इसकी अदला-बदली नहीं की जा सकती, यह बेची नहीं जा सकती और न ही दान दी जा सकती है।

(4) संपूर्ण विवाद अधिक से अधिक 1460 वर्ग गज भूमि का है। जिसकी लंबाई-चौड़ाई अधिकतम 140 × 100 फीट होती है। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत 70 एकड़ भूमि इससे अलग है तथा वह भारत सरकार के पास है। जिस पर कोई मुकदमा अदालत में लम्बित नहीं है।

(5) अदालत में विचाराधीन संपूर्ण स्थल रामलला विराजमान का है। यह भगवान की जन्मभूमि, लीलाभूमि व क्रीड़ाभूमि है। हजारों वर्ष पूर्व छपे स्कंद पुराण में इसी स्थान के महत्व का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि रामजन्मस्थान का दर्शन मोक्षदायक है।

(6) किसी भी समुदाय के आराध्य देवी-देवतओं के मन्दिर देश में अनेकों स्थानों पर बनाये जा सकते हैं, महापुरुषों की प्रतिमायें अनेकों स्थानों पर स्थापित की जा सकती हैं, परन्तु उनका प्राकट्य स्थल/जन्म स्थान एक ही स्थान पर होगा और वह कभी बदला नहीं जा सकता। जन्मभूमि अपरिवर्तनीय है।

(7) हिन्दुओं के लिए अयोध्या का उतना ही महत्व है जितना मुस्लिमों के लिए मक्का का है। अयोध्या में कोई नई मस्जिद/स्मारक/इस्लामिक सांस्कृतिक केन्द्र नहीं बन सकता, जो 1528 ई. के अपमान की याद दिलाए।

**02. संघर्ष एवं आन्दोलनों का इतिहास**

(1) जन्मभूमि को प्राप्त करने का संघर्ष 1528 ई. से (जिस दिन बाबर ने मन्दिर तोड़ने का आदेश दिया था) सतत जारी है।

(2) इस संघर्ष को संपूर्ण देश का हिन्दू समाज लगातार लड़ रहा है। अयोध्या के सन्तों व आसपास के राजा-महाराजाओं का इस संघर्ष में विशेष योगदान रहा है।

(3) 76 संघर्षों का वर्णन इतिहास के पन्नों में मिलता है।

(4) संघर्ष बताते हैं कि हिन्दुओं ने इस स्थान से अपना दावा कभी नहीं छोड़ा।

(5) इन संघर्षों से पता चलता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी व उसके वंशजों का इस स्थान पर कब्जा कभी भी शान्तिपूर्ण, लगातार व निर्बाध नहीं रहा।

(6) ईसवीं सन् 1885 में जन्मभूमि परिसर के बाहरी आंगन में स्थित रामचबूतरे पर छप्पर को पक्का करने के लिए एक प्रार्थ नापत्र तत्कालीन सरकारी अधिकारी को निर्मोही अखाड़े की ओर से दिया गया था। इस विषय पर अन्तिम रूप से अंग्रेज न्यायाधीश कर्नल चेमियर ने निर्मोही अखाड़े को अनुमति तो नहीं दी परन्तु अपने निर्णय में यह स्वीकार किया कि **''यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मन्दिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई''।**

(7) मार्च1983 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में आयोजित हिन्दू सम्मेलन में स्वर्गीय दाऊदयाल खन्ना ने रामभक्तों का आह्वान किया कि **''अयोध्या, मथुरा और काशी के स्थानों को मुक्त कराओ और हिन्दुस्तान का गौरव वापस लाओ।''**

(8) 7 व 8 अप्रैल, 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में सन्तों का सम्मेलन हुआ (प्रथम धर्म संसद)। श्रीराम जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प लिया गया। इस प्रकार सन्तों के आदेश से विश्व हिन्दू परिषद ने 77वें संघर्ष को प्रारंभ किया।

(9) सर्वप्रथम जन्मभूमि पर लगे ताले को खोलने के लिए जन-जागरण का निश्चय हुआ। सीतामढ़ी में राम-जानकी रथ का पूजन हुआ। 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में सरयू के तट पर राम-जानकी रथ आया, हजारों रामभक्तों ने सरयू महारानी का जल हाथ में लेकर श्रीराम जन्मभूमि को मुक्त कराने की प्रतीज्ञा ली।

(10) अक्टूबर, 1985 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पुनः 6 रथों के द्वारा जन-जागरण प्रारंभ हुआ। परिणामस्परूप श्रीराम जन्मभूमि पर वर्ष 1949 ई. से लगा ताला अदालत के आदेश से 01 फरवरी, 1986 को खुल गया। रामलला के दर्शन-पूजन को रोकने के कई बार प्रयास हुए परन्तु अदालत ने उसे स्वीकार नहीं किया।

(11) इसके पश्चात् जागरण अभियानों का एक क्रम प्रारंभ हो गया। शिलापूजन का कार्यक्रम देशभर के लगभग तीन लाख गाँवों में आयोजित किया गया। देश विदेश से पूजित शिलायें अयोध्या पहुँच गईं। पूज्य साधु सन्तों की उपस्थिति में अनुसूचित जाति के एक कार्यकर्ता श्री कामेश्वर चौपाल द्वारा हिन्दू आकांक्षाओं के प्रति भव्य राम मन्दिर का शिलान्यास हुआ। यह कार्यक्रम रामभक्तों की शक्ति के साथ-साथ समरसता का एक अद्भुत उदाहरण था।

(12) राम ज्योति, रामचरण पादुका पूजन, विजय मंत्र जाप अभियान जैसे अनेक कार्यक्रमों से देश में अद्वितीय जागरण हुआ।

(13) 24 जून, 1990 को हरिद्वार में केन्द्रीय मार्ग दर्शक मण्डल की बैठक में निर्णय किया गया कि 30 अक्टूबर, 1990 (देवोत्थान एकादशी) को कारसेवा करने के लिए अयोध्या जाएंगे। उत्तर प्रदेश के

मुख्यमंत्री ने अयोध्या को चारों ओर से सुरक्षा बलों के द्वारा घेर दिया और घोषणा करी कि 'परिन्दा भी पर नहीं मार सकता'। हिन्दू समाज ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सब प्रकार के दमनचक्रों के बावजूद हजारों लोग अयोध्या पहुँच गए। कारसेवकों ने निर्धारित समय पर गुम्बदों के ऊपर भगवा पताका फहरा दी। वहाँ गोलियाँ चलीं व कारसेवकों के बलिदान हुए। 02 नवंबर, 1990 का गोली काण्ड सर्वविदित है। अन्ततः सरकार झुकी और सभी कारसेवकों को दर्शन करने की अनुमति मिली, तभी कारसेवक अपने घर गए।

(14) दस दिन का सत्याग्रह हुआ, हजारों लोग रोज आते थे। कार सेवकों की अस्थियों का देशभर में पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ।

(15) 04 अप्रैल, 1991 को दिल्ली के बोट क्लब पर ऐतिहासिक विराट जनसभा हुई। अनुमानतः 25 लाख रामभक्त इस सभा में आए। सभा समाप्त होते-होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश में पुनः चुनाव हुए, श्री कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने।

(16) पुनः घोषणा हो गई कि 06 दिसम्बर, 1992 को कारसेवा करेंगे। श्री कल्याणसिंह जी ने घोषणा की कि गोली नहीं चलेगी। अयोध्या के चारों ओर सुरक्षा बल बैठा दिए गए। रामभक्तों के साथ हो रहे अत्याचारों के कारण समाज का गुस्सा फूट पड़ा और बाबरी ढाँचा ध्वस्त हो गया।

1984 से प्रारंभ हुए श्रीराम जन्मभूमि संघर्ष के इस चरण में करोड़ों रामभक्तों की सहभागिता हुई। रामभक्तों का संकल्प हर अभियान के साथ और मजबूत होता गया।

**03. स्वतंत्र भारत में श्रीराम जन्मभूमि पर मुकदमों का इतिहास**

(1) 22-23 दिसम्बर, 1949 की मध्यरात्रि में राम जन्मस्थान पर रामलला का प्राकट्य हो गया। प्रशासन ने शान्ति व्यवस्था के नाम पर ढांचे के दरवाजों पर ताला लगवा दिया। समाज ने आपत्ति की तो न्यायालय ने प्रतिदिन प्रातः-सायं ताले खोलकर भगवान की पूजा आरती का आदेश दिया। आज भी उसी स्थान पर रामलला विराजमान हैं और निरन्तर पूजा हो रही है।

(2) जनवरी, 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने अदालत में अपना वाद दायर करके माँग की कि मैं भगवान का भक्त हूँ, नित्य दर्शन के लिए आता हूँ अतः मेरे दर्शन-पूजन में कोई व्यक्ति अथवा प्रशासन किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाये। प्रशासन ने इस स्थान के प्रबन्धन के लिए एक रिसीवर नियुक्त कर दिया।

(3) वर्ष 1959 में निर्मोही अखाड़े ने फैजाबाद की अदालत में अपना वाद दायर करते हुये मांग की थी कि सरकार द्वारा नियुक्त रिसीवर हटाया जाये और हमें प्रबन्धन सौंपा जाये।

(4) 18 दिसम्बर, 1961 को उत्तर प्रदेश सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने अपना मुकदमा दायर कर मांग की थी कि इस ढांचे को मस्जिद घोषित किया जाये, और ढाँचे के अन्दर रखी पूजा सामग्री हटाई जाए।

(5) जुलाई, 1989 में स्वयं भगवान रामलला विराजमान एवं स्थान जन्मभूमि को वादी बनाते हुये भगवान की ओर से मुकदमा दायर हुआ, भगवान ने स्वयं अपना पक्ष रखा।

(6) 1989 में उपर्युक्त चारों वाद निचली अदालत से उठाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को सामूहिक सुनवाई के लिए सौंप दिए गए और इन चारों मुकदमों की सुनवाई एक साथ होने लगी।

(7) जनता की भावनाओं को समझने में सरकार ने देरी की, परिणामस्वरूप समाज का आक्रोश 06 दिसम्बर, 1992 को फूट पड़ा। परिणाम सब जानते हैं।

(8) ढाँचा गिरने के बाद तथाकथित विवादित भूमि और उसके चारों ओर फैली हिन्दू समाज की 67 एकड़ जमीन भारत सरकार ने 07 जनवरी, 1993 को कानून बनाकर (अधिनियम 33/1993) अधिग्रहीत कर ली थी। इस अधिग्रहित 67 एकड़ भूमि में एक इंच भूमि भी किसी मुस्लिम की संपत्ति नहीं है।

(9) उपर्युक्त अधिग्रहण के खिलाफ 1993 में इस्माइल फारुकी नामक एक मुस्लिम सज्जन सर्वोच्च न्यायालय में गये और माँग की कि मस्जिद की जगह का अधिग्रहण नहीं हो सकता। इसी कालखण्ड में राष्ट्रपति महोदय ने संविधान की धारा 143 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रश्न का उत्तर देने का निवेदन किया। राष्ट्रपति महोदय का प्रश्न था कि **"क्या विवादित स्थान पर वर्ष 1528 ई. के पहले कोई हिन्दू उपासना स्थल था ?"**

(10) अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका और राष्ट्रपति महोदय के प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनी। लगभग 22 माह की सुनवाई के पश्चात् संविधान पीठ ने राष्ट्रपति महोदय का प्रश्न बिना उत्तर दिए वापस कर दिया और लिखा कि 1528 ई. के पूर्व की इस स्थिति का उत्तर विज्ञान और पुरातत्व के आधार पर ही दिया जा सकता है।

(11) साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के आधार पर विवादित भूमि का अधिग्रहण रद्द कर दिया और विवादित भूमि से संबन्धित सभी मुकदमों को पुनः प्रारंभ करने का आदेश दिया था। यह भी कहा कि भारत सरकार इस विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखेगी, सुरक्षा करेगी। विवादित भूमि छोड़कर शेष संपूर्ण 67 पकड़ जमीन का भारत सरकार द्वारा किया गया अधिग्रहण सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। इसी मुकदमे को इस्माइल फारूखी के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्णय अक्टूबर, 1994 में हुआ था।

(12) वर्ष 1995 में लखनऊ उच्च न्यायालय में श्रीराम जन्मभूमि से संबंधित सभी वादों की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ बनी। पीठ ने 15 वर्षों तक ट्रायल कोर्ट के रूप में व्यवहार किया।

(13) सन् 2003 में 1528 ई. से पूर्व की स्थिति जानने के लिए

ही उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने उस स्थान पर राडार तरंगों से भूमि के अंदर की फोटोग्राफी कनाडा के विशेषज्ञों से कराई थी और फोटोग्राफी रिपोर्ट की सत्यता जानने के लिए भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से उत्खनन कराया गया था।

(14) राडार फोटोग्राफी रिपोर्ट, पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन एवं उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा 30 सितम्बर, 2010 को दिये गये निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि उस विवादित भूमि पर 1528 ई. से पहले भी वहां पर एक हिन्दू मंदिर था।

(15) उच्च न्यायालय ने निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वाद पूर्ण रूप से निरस्त करते हुए लिखा कि इन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। इसके विपरीत रामलला विराजमान के वाद को स्वीकार किया परन्तु विवादित भूमि का तीनों पक्षों में समान बंटवारे का आदेश दे दिया जो न्यायसंगत नहीं था। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय में अपील लेकर जाना आवश्यक हो गया।

(16) सभी अपीलें दिसम्बर 2010 में दायर हुई। जुलाई, 2017 तक तो अपील सुनने का नंबर ही नहीं आया। अगस्त, 2017 में पहली बार सुप्रीमकोर्ट ने केस देखा तो पता चला कि हिन्दी, संस्कत, फारसी, उर्दू व फ्रेंच भाषाओं के दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 महीने में लगभग 14,000 पृष्ठों का अंग्रेजी में अनुवाद करवा दिया।

(17) 29 अक्टूबर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय में अपील की सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि हमारी प्राथमिकता में और बहुत सारे मुकदमे हैं। ऐसा कहकर जनवरी, 2019 तक के लिए इस मुकदमे को टाल दिया गया। साथ ही साथ अदालत ने आदेश दिया कि मुकदमा पाँच न्यायधीशों की पीठ सुनेगी।

**04. अदालती प्रक्रिया का वर्तमान संदर्भ**

(1) फरवरी 2019 को अदालत ने इच्छा व्यक्त की कि सभी पक्ष आपसी वार्तालाप के आधार पर विवाद का समाधान खोजें। अपने आदेश के द्वारा उन्होंने तीन व्यक्तियों की मध्यस्थता समिति घोषित कर दी। मध्यस्थता समिति ने 13 मार्च, 2019 से प्रारंभ करके 01 अगस्त, 2019 तक सात चक्रों में सभी पक्षों से अलग-अलग बातचीत की। समस्त वार्ता गोपनीय रखी गई। अन्ततः 01 अगस्त, 2019 को वार्तालाप अनिर्णित व असफल समाप्त कर दी गई।

(2) 02 अगस्त को मध्यस्थता समिति का वार्तालाप समाप्ति का पत्र सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिणामतः संविधान पीठ ने 6 अगस्त से अपीलों की नियमित सुनवाई का आदेश पारित कर दिया। यह भी आदेश दिया कि अपीलें सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन तथा प्रतिदिन प्रातःकाल 10.30 बजे से सायंकाल 4.00 बजे तक सुनी जाएंगी। मौखिक रूपसे कहा कि आवश्यकतानुसार शनिवार को भी सुन सकते हैं अथवा सायंकाल 4.00 बजे के बाद एक घंटा अतिरिक्त सुन सकते हैं।

(3) 6 अगस्त, 2019 से प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर तक कुल 40 दिन वकीलों की बहस सुनी गई। अन्त के 11 कार्य दिवस एक-एक घंटा अतिरिक्त सुना गया।

(4) सितम्बर, 2019 में बहस के दौरान अदालत के सम्मुख अनायास यह विषय लाया गया कि दोनों पक्ष वार्तालाप के द्वारा समाधान के लिए तैयार हो रहे हैं। अदालत ने आदेश दिया कि वार्तालाप के इच्छुक पक्ष मध्यस्थता समिति के सम्मुख प्रस्तुत हो सकते हैं परन्तु अदालत की कार्यवाही यथावत चलती रहेगी। रामलला विराजमान की ओर से तत्काल सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को लिखित रूप में दे दिया गया कि हम किसी वार्तालाप के हिस्से नहीं हैं। कुछ दिन पश्चात् रामलला के वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ के सम्मुख खड़े होकर यह बात मौखिक रूप से रख दी। अक्टूबर मास में न्यायालय में इस विषय पर फिर हलचल की गई। 02 अक्टूबर को रामलला विराजमान की ओर से फिर से लिखित रूप में मुख्य न्यायाधीश को दिया गया, पुनः 10 अक्टूबर को पुनः पत्र दिया गया कि हम किसी वार्तालाप के अंग नहीं हैं।

(5) 16 अक्टूबर सायंकाल संविधान पीठ ने सुनवाई पूर्ण घोषित कर दी। साथ ही साथ लिखित आदेश हुआ कि वैकल्पिक राहत के लिए सभी पक्ष अपनी बात आगामी तीन दिन में लिखित रूप में दें। सर्वोच्च न्यायालय में अन्तिम निर्णय सुरक्षित घोषित हो गया।

विश्व के महानतम ऐतिहासिक मुकदमे के निर्णय की प्रतीक्षा इस प्रकार से समाप्त हुई।

**वार्तालाप का इतिहास (श्रीराम जन्मभूमि पर हिन्दू मुस्लिम के मध्य)**

देश के अनेक बुद्धिजीवियों का यह मत रहा है कि इस विषय का समाधान आपसी वार्तालाप अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा हो। अतः विश्व हिन्दू परिषद ने वार्तालाप के सभी माध्यमों द्वारा यह प्रयास किया कि भारत के मुस्लिम नेता हिन्दू समाज की भावनाओं को, आस्थाओं को जानें, समझें व आदर करें। अनुभव यह आया कि मुस्लिम नेतृत्व सदियों पुराने इस संघर्ष को समाप्त करके परस्पर विश्वास और सद्भाव का नया युग प्रारंभ करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

श्री राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री काल में श्री बूटासिंह एवं श्रीमती शीला दीक्षित मध्यस्थता करती थीं। दिल्ली में ही अनेक बार विश्व हिन्दू परिषद एवं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों के साथ आमने-सामने बैठकर बातचीत हुई। एक बार पूज्य स्वामी सत्यमित्रानन्द जी महाराज भी वार्तालाप में थे, दोपहर का समय था, शुक्रवार का दिन था, नमाज का समय हो गया था, मुस्लिम पक्ष के महानुभाव नमाज पढ़कर जब वापस लौटे तो पूज्य स्वामी सत्यमित्रानन्द जी महाराज ने खड़े होकर अपना वस्त्र फैलाकर कहा कि **'नमाज के बाद जकात करनी चाहिए। मैं श्रीराम जन्मभूमि की**

**भीख माँगता हूँ।'** सब चुप रहे। महाराजश्री बैठ गए। एक अन्य वार्ता के समय सैय्यद शहाबुद्दीन ने कहा था कि **'यदि सिद्ध हो जाए कि मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो हम स्वेच्छा से समर्पित कर देंगे'।** यह वाक्य भारत सरकार ने अपने श्वेतपत्र में अंकित किया है। 1994 में इस्माइल फारूखी की याचिका पर सर्वोच्च यायालय के निर्णय में भी इस तथ्य का उल्लेख है। परन्तु इस वचन का कभी पालन नहीं किया गया।

श्री चन्द्रशेखर जी के प्रधानमन्त्रित्व काल में भारत सरकार की पहल पर द्विपक्षीय वार्ता प्रारंभ हुई। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री सुबोधकान्त सहाय, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री क्रमशः श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शरद पवार व श्री भैरों सिंह शेखावत भी इन बैठकों में उपस्थित रहते थे। 01 दिसम्बर, 1990 को अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्यों के साथ विश्व हिन्दू परिषद के प्रतिनिधियों ने वार्ता की।

परिषद की ओर से श्री विष्णुहरि डालमिया, श्री बद्रीप्रसाद तोषनीवाल, श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित, श्री मोरोपंत पिंगले, श्री कौशलकिशोर, श्री भानु प्रताप शुक्ल, श्री आचार्य गिरिराज किशोर व श्री सूर्यकृष्ण उपस्थित रहे। श्री मोरोपंत पिंगले ने सुझाव दिया था कि अगली बैठक में दोनों पक्षों की ओर से तीन-तीन चार-चार विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाए, वे ही अपने पक्ष के प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने सुझाव दिया था कि दोनों पक्षों के विशेषज्ञ इन प्रमाणों का परस्पर आदान-प्रदान करें और सत्यापन करें इस पर श्री जिलानी ने कहा कि पहले समिति के सदस्य आपस में साक्ष्य सत्यापन कर लें तब विशेषज्ञों का सहयोग लें। श्री पिंगले जी ने सुझाव दिया कि इस विवाद के सौहार्द पूर्ण समाधान के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर ली जाए। इस पर निर्णय हुआ कि -

01. दोनों पक्ष 22 दिसम्बर, 1990 तक अपने साक्ष्य गृह राज्यमंत्री को उपलब्ध कराएं।

02. मंत्री महोदय साक्ष्यों की प्रतिलिपियाँ सभी संबंधित व्यक्तियों को 25 दिसम्बर, 1990 तक उपलब्ध कराएं।

03. इन साक्ष्यों के सत्यापन के पश्चात् दोनों पक्ष पुनः 10 जनवरी, 1991 को प्रातः 10.00 बजे मिलें। द्विपक्षीय वार्ता का एक औपचारिक दस्तावेज गृह राज्यमंत्री के कार्यालय में तैयार हुआ।

एक-दूसरे के साक्ष्यों का प्रत्युत्तर 06 जनवरी, 1991 तक देना था। विश्व हिन्दू परिषद ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के दावों को निरस्त करते हुए अपना प्रत्युत्तर दिया। जबकि बाबरी कमेटी की ओर से केवल मात्र अपने पक्ष को और अधिक प्रमाणित करने के लिए कुछ अतिरिक्त साक्ष्यों की फोटो प्रतियाँ दी गई। बाबरी कमेटी की ओर से प्रत्युत्तर के अभाव में सरकार के लिए यह कठिन हो गया कि सहमति और असहमति के मुद्दे कौन-कौन से हैं। 10 जनवरी, 1991 को गुजरात भवन में बैठक हुई। अन्य प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विश्व हिन्दू परिषद की ओर से विशेषज्ञ रूप में प्रो. बी. आर. ग्रोवर, प्रो. देवेन्द्र स्वरूप अग्रवाल व डॉ. एस. पी. गुप्ता सम्मिलित हुए। यह तय किया गया कि प्रस्तुत दस्तावेजों को ऐतिहासिक, पुरातात्विक, राजस्व व विधि शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकरण कर लिया जाए। यह भी तय हुआ कि दोनों पक्ष अपने विशेषज्ञों के नाम देंगे, जो संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन करके 24 व 25 जनवरी, 1991 को मिलेंगे और अपनी टिप्पणियाँ 05 फरवरी, 1991 तक दे देंगे। तत्पश्चात् दोनों पक्ष इन विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर फिर से विचार करेंगे। बाबरी मस्जिद कमेटी ने अचानक पैंतरा बदलना शुरू कर दिया। कमेटी ने अपने विशेषज्ञों के नाम नहीं दिए। वे अपने विशेषज्ञों की सूची में निरन्तर परिवर्तन करते रहे। 24 जनवरी, 1991 को जो विशेषज्ञ आए उनमें चार तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे व डॉ. आर. एस. शर्मा, डॉ. डी. एन. झा, डॉ. सूरजभान व डॉ. एम. अतहर अली विशेषज्ञ थे। परिषद की ओर से न्यायमूर्ति गुमानमल लोढ़ा, न्यायमूर्ति देवकीनन्दन अग्रवाल, न्यायमूर्ति धर्मवीर सहगल व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह चौधरी सरीखे कानूनविद् तथा इतिहासकार के रूप में डॉ. हर्ष नारायण, श्री बीआर. ग्रोवर, प्रो. के. एस. लाल, प्रो. बी. पी. सिन्हा, प्रो. देवेन्द्र स्वरूप अग्रवाल तथा पुरातत्वविद् डॉ. एस. पी. गुप्ता उपस्थित थे। बैठक प्रारंभ होते ही बाबरी कमेटी के विशेषज्ञों ने कहा कि हम न तो कभी अयोध्या गए और न ही हमने साक्ष्यों का अध्ययन किया है। हमें कम से कम छः सप्ताह का समय चाहिए। यह घटना 24 जनवरी, 1991 की है।

25 जनवरी की बैठक में बाबरी कमेटी के विशेषज्ञ आए ही नहीं। जबकि परिषद के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ दो घण्टों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। इसके पश्चात् की बैठक में भी ऐसा ही हुआ। अन्ततः वार्तालाप बन्द हो गई।

अक्टूबर, नवंबर 1992 में भी विश्व हिन्दू परिषद एवं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच पत्राचार हुआ है। परिणाम कुछ नहीं निकला।

मार्च 2019 में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर तीन सदस्यों की समिति बनाई गई। (1) सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इब्राहिम कलीफुल्ला (चेन्नई), (2) मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीराम पंचू, (3) आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर। सात चक्रों में वार्ता हुई, वार्ता गोपनीय रखी गई, 01 अगस्त, 2019 को वार्ताकारों ने सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन कर दिया और 02 अगस्त को इस प्रकार से वार्ता समाप्त होने का पत्र सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया। वार्ता का यह प्रयास भी असफल सिद्ध हुआ था।

# क्या अर्थ है? करसेवक अथवा कारसेवक का

अमित राव पवार

संपूर्ण भारत में सन 1990-92 के समय एक उद्घोष गूंजमान हुआ था-**सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे।** यह वह दौर था, जब पूरे भारतवर्ष से अपने आराध्य प्रभु श्रीराम के लिए अलग-अलग स्थान से एक आंदोलन के लिए लाखों लोग पवित्र अयोध्या नगरी के उस स्थान पर पहुंचे, जहां प्रभु राम का जन्म स्थान है। वे लोग भाग्यशाली थे जो आंदोलन के प्रथम चरण 30 अक्टूबर तथा दूसरे चरण 02 नवंबर 1990 में अयोध्या के उस स्थान तक पहुँचने में कामयाब हुये जहां पर आंदोलन का केंद्र था। इसी दौरान कोठारी बंधुओं की शहादत हुई। यह घटनाक्रम फिर 6 दिसंबर 1992 को हुआ जिसमें विवादित ढांचे को कारसेवकों ने ढहा दिया। लाखों लोगों में से कुछ किस्मत वाले ही जन्मभूमि तक पहुँच पाए थे, अधिकांश लोगों को तो अयोध्या की सीमा के बाहर ही रोक दिया गया या गिरेतार कर लिया गया था। देशभर में इस दौरान एक भय का माहौल तत्कालीन परिस्थितियों के कारण देखने को मिला था।

उस समय के अनेक त्यागी-बलिदानियों के साहस व योगदान के बल पर या यूं कहें कि जिस तरह रामसेतु निर्माण में गिलहरी का योगदान था, उसी प्रकार के उन लाखों लोगों के योगदान से भव्य मंदिर प्रभु श्रीराम का बनते दिख रहा है। यह सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा होने जा रहा है। 500 वर्षों से भी अधिक समय तक हिंदू समाज ने श्री रामलला के जन्म स्थान के लिए संघर्ष किया व हजारों लोगों ने इस पुण्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुतियां दीं। 14 जनवरी 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को, अपनी ही कुछ गलतियों के कारण अफगानी लुटेरे अहमदशाह अब्दाली के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस पराजय  का असर भारतीय संस्कृति के साथ राम जन्मभूमि स्थान पर भी बहुत गहरा पड़ा। समय-समय पर मुगल आक्रमणों का होना और यहां के राजाओं का एकजुट न होना भी सेपूर्ण भारत के धार्मिक स्थलों की दुर्दशा का कारण था। इतिहास इन सब बातों का साक्षी है। परंतु एक बार फिर इस धरती के सपूतों ने अपने प्रभु के लिए 1990-92 में जान की परवाह न करते हुए एक आंदोलन किया, जिसको इतिहास में **कारसेवक आंदोलन** के रूप में जाना गया।

आखिर क्यों नाम दिया गया इस आंदोलन को कारसेवा का? क्या है कार सेवा, क्यों की गई कारसेवा, यदि हम किसी बालक या अपरिपक्व व्यक्ति से यह सवाल करेंगे तो इसका जवाब शायद उसके पास ना मिले या बालक से कहेंगे तो वह **कार अथवा वाहन** के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक शायद जाना बताएँ। क्योंकि मेरी उम्र भी इस आंदोलन के समय बहुत कम थी। इसलिए मैं भी इस  वाक्य को समझ नहीं पाया कि कारसेवा का वास्तविक अर्थ क्या रहा होगा। क्या अर्थ है कारसेवक का श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में। **कर** संस्कृत का शब्द है। **कर** जिसे हिंदी में हाथ कहते हैं। कर का अर्थ हाथ और सेवक का अर्थ सेवा करने वाला, इन दो शब्दों से मिलकर बना करसेवक। कर के संदर्भ में संस्कृत में एक श्लोक है, जिसे प्रातःकाल अनेक लोग कहते हैं।

**कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती।**
**करमूले च गोविंदः प्रभाते कुरुदर्शनम्।।**

अर्थात् हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में गोविन्द निवास करते हैं, इसलिए सुबह दोनों हथेलियों (कर) के दर्शन करना चाहिए।

हाथों के द्वारा किया गया पवित्र कार्य या सेवा, संस्कृत में करसेवा कहलाती है। कर सेवा तीन तरह की मानी गई है-

1) धन के द्वारा सेवा-पवित्र कार्य के लिए व निःस्वार्थ भाव से दिया गया धन, धनसेवा में आता है।

2) शरीर द्वारा सेवा-यह सेवा भी वैसे ही जैसे धन सेवा की जाती है।अंतर सिर्फ शरीर का है, इसमें शरीर श्रम कार्य करता है।

3) हाथों द्वारा किया गया कार्य कारसेवा अथवा करसेवा कहलाती है। इसलिए पवित्र और निःस्वार्थ भाव से की गई श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के लिए यात्रा को जनमानस ने कारसेवा का नाम दिया।धार्मिक कार्य के लिए जो लोग निःशुल्क एवं निःस्वार्थ सेवा करते हैं, उन्हें करसेवक कहा जाता है। अधिकतर परोपकार से जुड़े कार्य धर्म से संबंधित ही होते हैं। इसलिए करसेवक शब्द का अर्थ धार्मिक कार्यों को निःस्वार्थ भाव से करने वाले व्यक्ति से संबंधित माना गया है।सिख धर्म में इस करसेवा को मुख्य शिक्षाओं में रखा जाता है। जिसका अर्थ है दूसरों की निःस्वार्थ भाव से सेवा करना। सन् 1983 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को बचाने के लिए भी अनेक करसेवक अथवा कारसेवक सामने आए थे।

इन कारसेवकों को हम देखते हैं, तो लाखों की संख्या में अपने आराध्य श्रीराम के मंदिर के समक्ष पहुंचने का जज्बा जिनका एकमात्र उद्देश्य था। निःस्वार्थ सेवा का ही परिणाम है कि प्रभु अपने यथास्थान पर भव्य मंदिर में विराजित होने जा रहे हैं। यह क्षण हर भारतीय और हिंदुओं के लिए गौरवपूर्ण होगा, हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद भी इस मातृभूमि की संतानों ने अपने संघर्ष की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं किया है। यह संघर्ष और साहस ही है, जो आज भी विश्व के समक्ष भारत मजबूती के साथ खड़ा है। आज हम सब प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर के साक्षी बनने जा रहे हैं। किंतु हमें उन लोगों के बलिदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने श्रीराम जन्मभूमि स्थान के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर व त्याग कर दिया। मंदिर सदैव से हमारे आस्था के केंद्र रहे हैं और जब-जब आस्था के केंद्र पर हमला हुआ है, तब-तब सनातन हिंदुओं ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है।करसेवा अथवा कारसेवा भी इसी का एक भाग है।

# स्वामी विवेकानन्द - कालजयी राष्ट्रसंत

डॉ. सुब्रतो गुहा

पुण्यभूमि भारत ने विश्व को अनेक कालजयी राष्ट्रसंत दिए जिन्होंने विश्व मानवता को वैचारिक मार्गदर्शन दिया है और आज भी दे रहे हैं। ऐसे ही एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व का जन्म 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ। अभिभाषक पिता विश्वनाथ दत्त और विदुषी माता भुवनेश्वरी देवी ने बालक का नाम रखा नरेन्द्र। बाल्यकाल में माता से प्राप्त धार्मिक संस्कारों के कारण ही बालक नरेन्द्र का सनातन धर्म तथा धर्मग्रन्थों के प्रति रूझान निरंतर बेता गया। इसी आध्यात्मिक प्यास को मन में समाते हुए सन 1881 में अठारह वर्षीय युवा नरेन्द्र कोलकाता के निकट दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर पहुंचे जहाँ उस मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस के वचनों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कालान्तर में नरेन्द्र ने गुरू रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर संन्यास ले लिया और गुरू ने उन्हें एक नया नाम दिया - स्वामी विवेकानन्द। दि. 16 अगस्त 1886 को अपने देहावसान से पूर्व रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ अपने सर्वाधिक प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानन्द को सोंप दीं- जिसमें समाधि की सर्वोच्च अवस्था निर्विकल्प समाधि भी थी। अपने गुरू के देहावसान के बाद उनकी पावन स्मृति को अमर बनाने हेतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से भारत तथा विश्व के विभिन्न देशों में आध्यात्मिक तथा मानव सेवा के कार्य किये जाने लगे।

सन् 1888 से 1892 तक स्वामी विवेकानन्द ने समूचे भारत का भ्रमण कर अपने राष्ट्र तथा राष्ट्रवासियों के सुख-दुख जानने का प्रयास किया क्योंकि उनके गुरू रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें भारतवर्ष एवं सनातन धर्म के पुनर्जागरण का दायित्व सौंपा था। सन् 1892 में जब भारत के सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी के तट पर वे ध्यानस्थ हुए उन्हें दिव्य अनुभव हुआ।

दि. 11 सितम्बर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानन्द सनातन हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। विश्व के सभी प्रमुख धर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित थे स्वामीजी के ओजस्वी उद्बोधन से सभी लोग अत्यधिक प्रभावित हुए अगले दिन अमेरिका के प्रमुख समाचार पत्र न्यूयार्क हेराल्ड ने मुख्य पृष्ठ पर स्वामीजी का फोटो छापकर लिखा- **इन महान हिन्दू संत का भाषण सुनकर हम समझ पाए कि हम कितने मूर्ख हैं जो ईसाई मिशनरी भारत भेजकर भारतीयों का कल्याण करना चाहते हैं। हम उन्हें आध्यात्मिकता क्या सिखाएंगे-हमें तो उनसे आध्यात्मिकता सीखने की आवश्यकता है।**

अपने ऐतिहासिक शिकागो उद्बोधन के बाद आगामी कई सप्ताह स्वामीजी अमेरिका तथा यूरोप के कई शहरों में अपने भाषणों द्वारा पश्चिमी जगत को यह संदेश देने में सफल हुए कि विश्व की सर्वाधिक समृद्ध आध्यात्मिक धरोहर केवल भारत के सनातन धर्म के पास है। इस प्रकार पश्चिम में हिन्दुत्व की विजय पताका फहराने के बाद वे भारत लौटे तथा भारतीय समाज में सनातन धर्म को सुदृढ़ करने के साथ ही दीन दुःखियों की सेवा में जुट गए। एक अवसर पर स्वामीजी ने अपनी शिष्या भगिनी निवेदिता से कहा था - **पश्चिमी सामाजिक जीवन ऊपरी तौर पर सुखद हंसी जैसी प्रतीत होती है, परन्तु उसमें एक खालीपन और दुःख का भाव निहित है। दूसरी और भारत का सामाजिक जीवन भले ही ऊपरी तौर पर दुःख और दरिद्रता से परिपूर्ण लगे, उसके अन्दर एक अलौकिक सुख निहित है।**

स्वामी विवेकानन्द ने भारतवासियों को सार्थक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा था-**उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रूको मत।** स्वामीजी के एक वाक्य में उनका दृढ़ आत्मविश्वास झलकता है- **मुझे कुछ ऐसे युवा दीजिए जो पूर्णतः शुद्ध एवं लगनशील हों मैं दुनिया को बदल डालूंगा।** भारत के सनातनधर्मियों को अपने पूर्वजों तथा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से निरन्तर जुड़े रहने की शिक्षा देते हुए स्वामीजी ने कहा था- जब हम अपने पूर्वजों के संदर्भ में ग्लानि अनुभव करने लगें तो समझ लीजिए कि अंत निकट है। शक्ति का सिद्धांत देते हुए स्वामीजी ने कहा था- **कमजोरी का उपचार कमजोरी पर चिंतन नहीं, बल्कि शक्ति का सतत चिंतन है।** अपने सनातन धर्म-संस्कृति पर गर्व का भाव संचारित करने वाला उनका एक कालजयी वाक्य है - **गर्व से कहो हम हिन्दू हैं।**

दि. 4 जुलाई 1902 में मात्र उन्चालीस वर्ष की अल्पायु में स्वामीजी का देहावसान हो गया। युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानन्द चिरयुवा रहे और लोगों की स्मृति में सदैव चिरयुवा ही बने रहेंगे। पूज्य स्वामी विवेकानन्द की 160 वीं जयन्ती के पावन अवसर पर उन्हें शत-शत नमन।

# मकर सक्रांति

गगन शुक्ला

मकर सक्रांति सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मकर संक्रांति मनाने का एक कारण सूर्य का उत्तरायण हो जाना भी है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग-अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में इसे पोंगल और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बिहार में इस पर्व को खिचड़ी उत्सव, पंजाब में लोहड़ी के रुप में मनाया जाता है इस पर्व की क्षेत्रीय स्तर पर भले ही अलग अलग मान्यताएं और नाम हैं किंतु मकर संक्रांति पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

भारत में मनाया जाने वाला हर पर्व न केवल धार्मिक मान्यताएं रखता है बल्कि उनमें कहीं न कहीं वैज्ञानिक कारण भी छिपे होते हैं, इस त्यौहार के भी कई कारण हैं। मकर संक्रांति के समय मौसम का तापमान कम होता है, यही कारण हैं कि इस दिन तिल के लड्डू और गुड़ की मिठाईयां एवं खिचड़ी जैसे पकवान बनाए जाते हैं। जिससे शरीर में गर्मी उत्पन्न की जा सके। इस दिन गजक, खिचड़ी और तिल रेवड़ी का भोग भी लगाया जाता है। पतंगोत्सव इस पर्व की एक विशेषता है, जिसका उद्देश्य सुबह की धूप में कुछ समय बिताना है, जो कि स्वास्थ के लिए अच्छा होता है। यह भारत के मुख्य पर्वों में से एक है, मकर सक्रांति जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है और अगले छः माह तक उत्तरायण रहता है जो कि देवताओं की सुबह मानी गई है। इसीलिए इस दिन से मांगलिक कार्य करने की पुनः शुरुआत की जाती हैं और दान-पुण्य, स्नान और मंगल कार्य लिए जाते हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं, शनिदेव मकर राशि के देवता हैं इसीलिए इस पर्व को मकर संक्रान्ति कहा जाता है।

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रान्ति पर सूर्य के उत्तरायण हो जाने से पृथ्वी प्रकाशमान रहती है और इस समय में देह परित्याग करने से पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है, अर्थात् ऐसी मान्यता है कि इसी दिन को गंगापुत्र भीष्म ने देह त्याग के लिए चुना था।

मकर संक्रांति पर तीर्थ स्नान का भी महत्व है, जिसमें गंगा स्नान का महत्व सबसे अधिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन से कई जगहों पर मेलों का आयोजन किया जाता है,और स्नान कर दान-पुण्य किया जाता है। भारत के कई प्रांतों में मकर संक्रांति के दिन विवाहित महिलाएं मिठाईयों के साथ सुहाग की किसी भी वस्तु का 14 की

संख्या में दान करती हैं। क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार व्रत-उपवास का संकल्प करती हैं और उस संकल्प को एक वर्ष तक धारण करती हैं। मकर संक्रांति से वसंत ऋतु की शुरुआत होती हैं और संपूर्ण भारत में फसलों का आगमन हो चुका होता है। खरीफ की फसलें कट चुकी होती हैं और रबी फसलों के कटने की तैयारी शुरू हो जाती हैं। खेतों में लहराती फसलों की सुंदरता विस्मय से भर देती है।

मकर संक्रांति पर पतंगोत्सव का आयोजन और क्षेत्रीय स्तर पर कई तरह के खेल खेले जाते हैं, खेल शारीरिक कसरत कर सर्दी के मौसम में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खेले जाते हैं, किंतु समय के साथ परिवर्तन ने चारों ओर एक आभासी दुनिया का घेरा बना लिया है जिससे वास्तविक दुनिया से संपर्क अवश्य टूटा है, तकनीक ने वास्तविक दुनिया से लोगों को विमुख किया हैं,त्यौहारों से हर्षोल्लास और वास्तविकता रिक्त हो रही हैं। त्यौहारों पर लोग मुस्कुराते तो हैं पर केवल उतनी देर कि उनकी हंसी तस्वीर में कैद की जा सके।

त्यौहारों का मानव जीवन में बहुत महत्व हैं, त्योहार एक जैसे बोझिल जीवन से विराम देकर नई ऊर्जा से भर देते हैं। आज जब सबकुछ आभासी होता जा रहा हैं तनाव नित्य जीवन का हिस्सा बन गया हैं, त्योहारों की और अधिक आवश्यकता है, खासकर युवाओं में। किंतु आज की युवा पीढ़ी केवल धार्मिक मान्यताओं में विश्वास नहीं रखती, उन्हें धार्मिक कारणों के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी बताने आवश्यक हैं, जिससे वें उन मान्यताओं को न केवल माने बल्कि स्वयं को उनसे जोड़े भी। भागदौड़ भरे जीवन में रुककर जीवन का आनंद लेने के लिए त्योहारों से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है।

मकर संक्रांति न केवल अपने धार्मिक कारणों से वरन व्यावहारिक कारणों के लिए भी मनाया जाता हैं, यह पर्व मानव के जीवन में सूर्य के प्रकाश के साथ ही सौभाग्य और मंगलकार्यों की गूंज लेकर आता है।

# 370 वाले दिन अब नहीं आएंगे जम्मू कश्मीर में...

## जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और महाराजा हरि सिंह के विलय के प्रस्ताव के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं है :- सुप्रीम कोर्ट

अक्टूबर माह में आयोजित सोशल मीडिया कॉन्क्लेव में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यूट्यूबर याना मीर ने अपने उद्बोधन में जम्मू कश्मीर से अनुत्छेद 370 हटाने के निर्णय को सही ठहराते हुए अपने वक्तव्य में कश्मीरियों की पीड़ा को बताते हुए धारा 370 के हटने के बाद के जम्मू कश्मीर में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों की सराहना करते हुए जम्मू कश्मीर को भारत की मुकुट मणि कहा ।

जम्मू कश्मीर की पहली महिला यूट्यूबर याना मीर के सोशल मीडिया कॉन्क्लेव में दिए गये संबोधन का वीडियो विश्व संवाद केंद्र मालवा के सभी हैंडल्स और यूट्यूब पर उपलब्ध है।

### 6 अगस्त 2019 के मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का निर्णय सही था -सुप्रीम कोर्ट

भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर में धारा 370 अस्थाई प्रावधान था। विदित हो कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को पूर्ण रूप से समाप्त करने के विरोध में 2019 में याचिकाकर्ताओं उनमें शोएब कुरैशी, मुजफ्फर इकबाल, रिफतबन, शकीरा, शब्बीर, नेशनल कांफ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन, इंद्रजीत टिक्कू, पत्रकार सतीश जैकब तथा और भी कई गैर राजनीतिक और राजनीतिक संगठनों ने याचिका लगाई थी।

इस संदर्भ में 2019 से चल रही सुनवाई के बाद दिनांक 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय की पाँच जजों की संविधान पीठ ने तीन अलग-अलग निर्णय दिये। जिनका निष्कर्ष एक ही है कि सरकार का अनुच्छेद समाप्त करने का निर्णय असंवैधानिक नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को निरस्त करते हुए अपने निर्णय में कहा -आर्टिकल 370 सिर्फ शुरुआती व्यवस्था थी, जो युद्ध स्थिति में शुरू की गई थी।

जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी लिखित दस्तावेजों में वर्णित है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और महाराजा हरि सिंह के विलय के प्रस्ताव के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक अस्थाई व्यवस्था थी और धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना गलत नहीं है।

धारा 370 के संदर्भ में विश्व संवाद केंद्र मालवा के

## सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने को वैधता प्रदान करना स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस निर्णय का स्वागत करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करता रहा है और संघ ने इस विषय पर कई प्रस्ताव भी पारित किए हैं तथा समस्त आंदोलनों में सहभाग किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय एकता को मजूबत करेगा। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में वर्षों से अन्याय सह रहे लोगों को इस निर्णय से मुक्ति मिली है। **सुनील आंबेकर, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।**

# आहार के अनुसार व्यवहार

मनुष्य पर अन्न का क्या और कैसा प्रभाव होता है, इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसी प्रकार के उसके विचार बनते हैं और उसके अनुसार ही शरीर भी बनता है।

महाभारत में इस प्रकार का एक प्रसंग है। एक बार द्रौपदी ने भीष्म पितामह को धर्म-संकट में डाल दिया। भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर आदि उनके चरणों के समीप बैठे उनसे धर्मोपदेश ग्रहण कर रहे थे। ऐसे समय में द्रौपदी ने उनके सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित कर दिया। बोली, '' पितामाह ! मेरी भी एक शंका है।''

'' बोली बेटी !'' पितामह ने कहा।

'' पितामह ! मैं पहले ही क्षमा -याचना कर लेती हूँ। शंका जरा टेढ़ी है।''

'' बेटी ! जो पूछना हो निर्भय होकर पूछो।''

'' पितामह ! जब भरी सभा में दु:शासन मेरा चीरहण कर रहा था, मैं नग्न हुई जा रही थी और रूदन करती हुई सहायता के लिए चिल्ला रही थी, उस समय आप भी वहाँ पर उपस्थित थे। किन्तु आपने भी मेरी सहायता नहीं की । बताईये, उस समय आपका यह विवेक और ज्ञान कहाँ चला गया था? एक अबला के लाज-हरण का दृश्य आप अपनी आँखों से किस प्रकार देख सके थे?'' पितामह गंभीर हो गये। यह प्रश्न उनके सम्मुख पहली बार नहीं आया था। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय भी यही प्रश्न उनके सम्मुख था और उसके बाद जब कभी उनको इस घटना का स्मरण होता तो वह प्रश्न-रूप में ही उनके सामने रहता। आज द्रौपदी ने स्पष्ट पूछ लिया था। बोले, बेटी ! तुम ठीक कहती हो। असल बात यह है कि मैं उस समय दुर्योधन का पाप से पूर्ण अन्न खाता था। वही पाप मेरे मन और मस्तिष्क में समाया हुआ था। मैं देख रहा था कि यह अत्याचार हो रहा है, अधर्म हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा न हो किन्तु मना करने का सामर्थ्य मुझमें नहीं रह गया था।''

''लेकिन आज सहसा यह ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है?'' द्रौपदी को समाधान नहीं हुआ था। सुन -सुनकर उसे खीझ आ रही थी। ''बेटी ! आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वह सारा रक्त बहा बाहर निकाल दिया है, जिसमें दुर्योधन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्तविहीन प्राणी हूँ, इसलिए मेरा विवेक आज सजग है। मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना रक्त निकल गया है।''

इसके बाद द्रौपदी को कुछ कहने को नहीं रहा। उसे सन्तोष हो गया था।

# मैं सरयू का तट

कवि मुकेश मोलवा

मैंने आदिकवि की रचना में विश्वास देखा,
कालिदास के रघुवंशम् मे वर्णविन्यास देखा।
तुलसी के मानस सा कौन सा उपन्यास देखा?
राजतिलक की घड़ी में युवराज का वनवास देखा।
लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ भी पता नहीं,
मैंने चौदह वर्ष तक उर्मिला का उपवास देखा।
मैं सरयू का तट......
मैंने इक्ष्वाकु विकुक्षि बाण जैसे शासक देखे,
अनरण्य पृथु धुन्धुमार सरीखे प्रशासक देखे।
युवनाश्व को विवस्वान की कीर्ति पढ़ते देखा,
मान्धाता को अश्वमेध प्रतिमान गढ़ते देखा।
सुसन्धि ध्रुवसन्धि भरत का धरा पर आना,
सागर के सभी पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना।
शंखण प्रवर्ध अम्बरीष की धर्मनिष्ठा देखी,
नहुष ययाति नाभाग की बढ़ी प्रतिष्ठा देखी।
अज के घर में दशरथ जैसे धर्मात्मा आएंगे,
सरयू इठलाती बोली अब परमात्मा आएंगे।
मैं सरयू का तट.........
मैंने पदचिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा,
भाई के बिरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा।
लौटकर फिर अवध में वह आया ही नहीं,
महातपस्वी उन भरत जैसा अनूठा मन देखा।
तुम्हारे इकन्दर-सिकन्दर सब दो कौड़ी के हैं,
मैंने राम की चरणपादुका का शासन देखा।
मैं सरयू का तट.....
मैंने इन्हीं घाटों पर राम को आचमन करते देखा,
अयोध्या के अपमान का परिमार्जन करते देखा।
रावण द्वारा कभी ले जाए गए उन खम्भों को,
लंका विजित कर पुन: ले आए उन स्तंभों को।
जानकी के विरह में रघुवर का जागना देखा,
एक दिन निरपराध लक्ष्मण को त्यागना देखा।
भरत शत्रुघ्न एक दिन फिर यहां से राम चले गए,
लीला रचकर के नारायण अपने धाम चले गए।
कुश के चक्रवर्ती राज में मन्दिर को बनते देखा,
भरतभूमि पर विराट से भवन को तनते देखा।
मैं सरयू का तट.......

# परावर्तन के अग्रदूत स्वामी श्रद्धानन्द
# 23 दिसम्बर/बलिदान-दिवस

भारत में आज जो मुसलमान हैं, उन सबके पूर्वज हिन्दू ही थे। उन्हें अपने पूर्वजों के पवित्र धर्म में वापस लाने का सर्वाधिक सफल प्रयास स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती ने किया। संन्यास से पूर्व उनका नाम मुंशीराम था। उनका जन्म 1856 में ग्राम तलबन (जिला जालन्धर, पंजाब) में एक पुलिस अधिकारी नानकचन्द जी के घर में हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह हो गया। बरेली में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रवचनों से वे अत्यन्त प्रभावित हुए। उन्होंने अस्पृश्यता तथा जातीय भेदभाव के विरुद्ध प्रबल संघर्ष करते हुए अपनी पुत्री अमृतकला तथा पुत्रों पंडित हरिश्चन्द्र विद्यालंकार व पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति का अंतरजातीय विवाह किया। 1917 में संन्यास लेने पर उनका नाम स्वामी श्रद्धानन्द हो गया। स्वामीजी और गांधीजी एक-दूसरे से बहुत प्रभावित थे। गांधीजी को सबसे पहले **'महात्मा'** संबोधन स्वामीजी ने ही दिया था, जो उनके नाम के साथ जुड़ गया। 30 मार्च, 1919 को चाँदनी चौक, दिल्ली में रौलेट एक्ट के विरुद्ध हुए सत्याग्रह का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंदजी ने ही किया था। वहां सैनिकों ने सत्याग्रहियों पर लाठियाँ बरसायीं। इस पर स्वामीजी उनसे भिड़ गये। सैनिक अधिकारी ने उनका सीना छलनी कर देने की धमकी दी। इस पर स्वामीजी ने अपना सीना खोलकर सामने कर दिया। सैनिक डरकर पीछे हट गया।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें एक वर्ष चार माह की जेल की सजा दी गयी। जेल से वापस आकर वे अछूतोद्धार तथा मुसलमानों के शुद्धिकरण में लग गये। 1924 में शुद्धि सभा की स्थापना कर उन्होंने 30,000 मुस्लिम (मलकाना राजपूतों) को फिर से हिन्दू बनाया। इससे कठमुल्ले नाराज हो गये। पर स्वामी जी निर्भीकता से परावर्तन के काम में लगे रहे। 1924 में स्वामीजी 'अखिल भारत हिन्दू महासभा' के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मुसलमानों में देशप्रेम जगाने के लिए खिलाफत आन्दोलन के समय वे चार अप्रैल, 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने गये।

स्वामीजी ने हरिद्वार के पास 21 मार्च, 1902 को होली के शुभ अवसर पर **'गुरुकुल कांगड़ी'** की स्थापना की। इसके लिए नजीबाबाद (जिला बिजनौर, उ.प्र.) के चौधरी अमनसिंह ने 120 बीघे भूमि और 11,000 रु. दान में दिये। गुरूकुल की व्यवस्था के लिए स्वामी श्रद्धानंदजी ने अपना घर बेच दिया और सर्वप्रथम अपने दोनों लड़कों को प्रवेश दिलवाया। उन्होंने जालन्धर और देहरादून में कन्या पाठशाला की भी स्थापना की।

**'जलियाँवाला बाग नरसंहार'** के बाद जब पंजाब में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय हुआ, तो भयवश कोई कांग्रेसी उसका स्वागताध्यक्ष बनने को तैयार नहीं था। ऐसे में स्वामी श्रद्धानन्दजी आगे आये और 1920 में अमृतसर में अधिवेशन हो सका। इसमें स्वामीजी ने हिन्दी में भाषण दिया। इससे पूर्व अधिवेशनों में अंग्रेजी में भाषण होते थे। इसी प्रकार भाई परमानन्द और लाला लाजपतराय निर्वासन के बाद जब स्वदेश लौटे, तो स्वामीजी ने लाहौर में उनका सम्मान जुलूस निकलवाया।

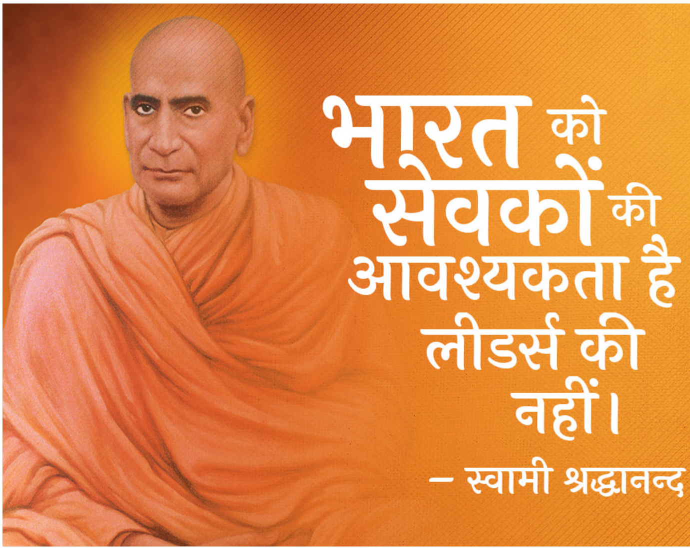


स्वामीजी द्वारा प्रारंभ परावर्तन का कार्य क्रमशः पूरे देश में जोर पकड़ रहा था। भारत के मुस्लिमों में अपने देश, धर्म और पूर्वजों का अभिमान जाग्रत होते देख कुछ मुस्लिम नेताओं ने उनके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया। 23 दिसम्बर, 1926 को अब्दुल रशीद नामक एक कट्टरपन्थी युवक ने उनके सीने में तीन गोलियाँ उस समय उतार दीं, जब वे बुखार से पीड़ित होकर आराम कर रहे थे। स्वामीजी के मुख से ॐ की ध्वनि निकली और उन्होंने प्राण त्याग दिये।

# नौसेना दिवस

आज नौसेना दिवस है। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज को नौसेना का जनक कहा जाता है, क्योंकि मध्ययुगीन भारत में शिवाजी महाराज पहले राजा थे, जिन्होंने नौसेना का महत्व समझकर उसका निर्माण किया।

इस विषय में उनकी दृष्टि इतनी पैनी थी कि उन्होंने आदेश दिए थे कि विदेशी साहूकार-व्यापारी उदाहरणार्थ फिरंगी, फरांशिस, वलंदेज, डिंगमार (आधुनिक अंग्रेज, फ्रांसीसी, हॉलैंडवासी, डेनमार्कवासी) इत्यादि को समुद्र तट पर स्थान न दिया जाए। देना ही हो, तो तट से दूर, भूमि पर स्थान देकर, इन्हें कड़ी निगरानी में रखा जाए। क्योंकि तट पर रहकर ये अन्य से मिलकर राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं व फिर इन्हें तट से हटाना मुश्किल हो सकता है।

शिवाजी महाराज ने नौसेना निर्माण व उसके नित्य कार्य में यह ध्यान रखा था कि राज्यकार्य संपन्न होते समय प्रजा को रंचमात्र दुःख न हो। यह प्रशासकीय नीति उनकी दूरदर्शिता व लोककल्याण मनोवृत्ति का प्रतीक है।

शिवाजी महाराज की नौसैनिक दूरदर्शिता अत्यंत श्रेष्ठ स्तर की थी। उन्होंने महाराष्ट्र तट पर विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, स्वर्णदुर्ग व पद्मदुर्ग जैसे महत्वपूर्ण जलदुर्गों का निर्माण करके अपने नौसैनिक प्रतिस्पर्धी विदेशियों जैसे जंजीरा के सिद्दी, पुर्तगाली व विशेषतः अँग्रेजों को नियंत्रण में रखा जो (अँग्रेज), सिद्दीयों को खुले व छुपे रूप से शिवाजी महाराज के विरुद्ध सहायता देते थे।

अंततः शिवाजी महाराज ने अँग्रेजों का राजापुर (महाराष्ट्र) स्थित केंद्र नष्ट कर दिया (1661)। शिवाजी महाराज की नौसैनिक परंपरा में ही मराठों ने आगे सशक्त नौसेना का निर्माण किया जिसके पराक्रमी नौसेनाध्यक्ष/ सेनापति (दर्यासारंग) कान्होजी आंग्रे थे, जिनकी समुद्र पर इतनी धाक थी कि अँग्रेज समुद्र पर मराठों से दूर ही रहते थे। वीर कान्होजी आंग्रे को सम्मानित करने हेतु भारतीय नौसेना का एक पोत, **कान्होजी आंग्रे** भी है। यह स्थिति शिवाजी महाराज के बाद भी बनी रही थी, जिसका श्रेय शिवाजी महाराज को ही जाता है।


## जाग्रत मालवा अब सोशल मीडिया पर भी

**जाग्रत मालवा से वेबसाइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर जुड़कर देशभर के विशेषकर मालवा के समाचार प्राप्त कर सकते हैं।**

**अभी फॉलो करें - किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर जाग्रत मालवा सर्च करें**

# डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति नवनिर्मित भवन सुदर्शन

**डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति का यह भवन समाज द्वारा निर्मित है और समाज के उपयोग के लिए है, यह भवन लोक को ही अर्पण है, इसलिए यह 'लोकार्पण' है - दत्तात्रेय होसबाले (सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)**

डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति का यह भवन समाज द्वारा निर्मित है और समाज के उपयोग के लिए है, यह भवन लोक को ही अर्पण है, इसलिए यह **लोकार्पण** है, जैसे **त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये** उक्त विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबाले ने डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति के नवनिर्मित भवन **सुदर्शन** के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रकट किए।

सरकार्यवाह जी ने आगे कहा कि डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति ने कभी विचार नहीं किया कि हमारी संपत्ति होनी चाहिए, किंतु कार्य के सतत विस्तार और प्रशिक्षण के लिए स्थान की आवश्यकता होने के कारण इस भवन का निर्माण हुआ है। संपूर्ण देश में स्वयंसेवकों द्वारा समाज में विविध सेवा कार्य, आपदा एवं राहत कार्य चलाए जा रहे हैं, उसके लिए समय -समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए भवन में प्रशिक्षण कक्षों का निर्माण भी किया गया है।

सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने कहा कि इस कार्यालय का नाम पूजनीय सुदर्शनजी के नाम पर रखा गया है। सुदर्शन जी सदैव भारत के **स्व** को दृढ़ करने के लिए संपूर्ण समाज से आग्रह करते थे, कार्यालय के लोकार्पण का यह दिन सुदर्शनजी के उसी संकल्प और स्वप्न को पूर्ण करने के निश्चय का दिन है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में भवन निर्माण में लगे श्रम साधकों का सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी, क्षेत्र संघचालक अशोक सोहनी जी, प्रांत संघचालक प्रकाश शास्त्री जी और मुकेश मोड़ जी ने शॉल- श्रीफल से सम्मान किया।

डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष ईश्वर दास जी हिंदुजा ने समिति के निर्माण, उसके प्रकल्प, इतिहास और नए कार्यालय **सुदर्शन** के निर्माण की भूमिका सभी के सम्मुख स्पष्ट की। कार्यक्रम का संचालन श्री विनीत नवाथे ने किया।

सभी विशेष आमंत्रित समाज जनों एवं स्वयंसेवकों के साथ श्री दत्तात्रेय जी होसबाले ने नवनिर्मित भवन का अवलोकन कर भवन के उत्कृष्ट निर्माण के पीछे सभी कार्यकर्ताओं के निरंतर परिश्रम व समर्पण भाव का प्राकट्य बताया।

कार्यक्रम के अंत में डॉ. हेडगेवार स्मारक के सचिव राकेश जी यादव ने आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक वरिष्ठ स्वयंसेवकों के साथ अभा कार्यकारिणी सदस्य मा. सुरेश जी सोनी, मध्य-क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक दीपक जी विस्पुते, गुणवंत जी कोठारी, कृष्ण कुमार जी अष्ठाना आदि वरिष्ठ जन उपस्थित रहे ।

# संघ और समाज भारत को विश्वगुरु बनावेंगे - श्री सुरेशजी सोनी

आत्मगौरव बोध से जागृत समाज ही भारत को पुनः विश्वगुरु के स्थान पर ले जाने में समर्थ है। शक्तिशाली भारत में विश्व का कल्याण निहित है, अतः देशभक्ति, सामाजिक दायित्व बोध, संवेदनशीलता और विश्व कल्याण की भारतीय संस्कृति के बोध जागरण द्वारा प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र मंदिर के पुनर्निर्माण में लगना होगा। उक्त विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री सुरेशजी सोनी ने शाजापुर में आयोजित प्रकट कार्यक्रम में व्यक्त किये।

संघ के मालवा प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन में आये कार्यकर्ताओं के प्रकट कार्यक्रम में स्वयंसेवकों और समाज जनों को संबोधित करते हुए श्रीसोनी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पूर्वजों के स्वप्न का स्मरण करते हुए बताया कि स्वतंत्रता का लक्ष्य विश्व का कल्याण और मार्गदर्शन करने वाले भारत का निर्माण करना था। हजारों सालों से भारत ने पूरे विश्व को परिवार मानकर प्राणी मात्र के कल्याण का कार्य किया है। आज भी भारत का यही चिंतन व्यवहार में परिलक्षित होता है। कोरोना महामारी के समय दुनिया को वैक्सीन देना हो या संकटग्रस्त देशों को अन्न आदि सहायता में भारत सदैव आगे रहता है। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिये प्रत्येक नागरिक की भूमिका है। एक आदर्श नागरिक के निर्माण में परिवार की बड़ी भूमिका है, अतः विभिन्न सामाजिक कर्तव्यों से युक्त नागरिक के निर्माण के लिये हमारी परिवार व्यवस्था को बताना अनिवार्य है।

समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों में परस्पर स्नेह भाव के संचार से समरस भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका है। श्रम का सम्मान और हर कार्य में देवत्व का दर्शन हमारी संस्कृति है।

हमारे प्राचीन दर्शन के अनुरूप मनुष्य सहित सभी जीव-जंतुओं के लिये आवश्यक पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिये। हमारी जीवनशैली और दृष्टि पर्यावरण के संवर्धन वाली होनी चाहिये।

स्वदेशी और स्वावलंबन, सभी के जीवन का मंत्र बने। कारीगरी जीवंत हो, विकसित हो और उसकी गुणवत्ता और ग्राह्यता बढ़े।

हमारे तत्वज्ञान और व्यावहारिक पक्ष के अंतर को पाटने के लिये देश के प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक कर्तव्य और अनुशासन का पालन करना होगा। समाज की समस्याओं के समाधान का दायित्व किसी एक व्यक्ति या संस्था का ना होकर, प्रत्येक व्यक्ति का संकल्प होना चाहिये। राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में संघ पूरे समाज को साथ लेकर कार्य करने का आह्वान करता है।

प्रकट कार्यक्रम में ध्वजारोहण और संघ की प्रार्थना के पश्चात् मालवा प्रांत के विभिन्न स्थानों से आये एक हज़ार से अधिक कार्यकर्ताओं नें घोष के साथ सामूहिक समता और व्यायाम योग का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मंच पर माननीय क्षेत्र संघचालक श्रीअशोकजी सोहनी, माननीय प्रांत संघचालक श्री श्रीप्रकाशजी शास्त्री एवं माननीय जिला संघचालक श्रीहुकुमजी घनगर भी उपस्थित थे।

# षड्यंत्र

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिये अलग समिति बनाकर, रसीद छापकर धन संग्रह करने की सूचना अथवा अनुमति किसी को भी नहीं दी है। समाज भी ऐसी परिस्थिति में सजग रहे। - **मिलिंद परांडे, महामंत्री, विश्व हिन्दू परिषद**

# विरोधियों का सत्य

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नवनिर्वाचित पुजारी श्री मोहित पांडे के भ्रामक आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर, वामपंथी विचारधारा और सनातन संस्कृति को तोड़ने वाली षड्यंत्र कारी विरोधी शक्तियों के विरुद्ध इंदौर जिले के शिप्रा थाने में संयुक्त माली सैनी समाज द्वारा एफ. आई. आर. करवाई गई है।

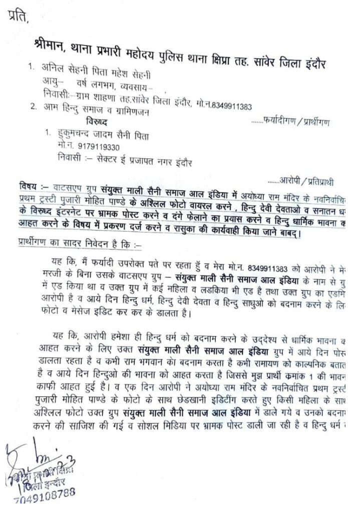
प्रति,

**श्रीमान, थाना प्रभारी महोदय पुलिस थाना क्षिप्रा तह. सांवेर जिला इंदौर**

1. अनिल सेहनी पिता महेश सेहनी
आयु– वर्ष लगभग, व्यवसाय–
निवासीः–ग्राम शाहणा तह.सांवेर जिला इंदौर, मो.न.8349911383
2. आम हिन्दु समाज व ग्रामिणजन

.......फर्यादीगण / प्रार्थीगण

**विरुध्द**

1. हुकुमचन्द जादम सैनी पिता
मो.न. 9179119330
निवासी :– सेक्टर ई प्रजापत नगर इंदौर

.......आरोपी / प्रतिप्राथी

**विषय :– वाटसएप ग्रुप संयुक्त माली सैनी समाज आल इंडिया में अयोध्या राम मंदिर के नवनिर्वाचि प्रथम ट्रस्टी पुजारी मोहित पाण्डे के अश्लिल फोटो वायरल करने , हिन्दु देवी देवताओ व सनातन ध के विरुध्द इंटरनेट पर भ्रामक पोस्ट करने व दंगे फेलाने का प्रयास करने व हिन्दु धार्मिक भावना क आहत करने के विषय में प्रकरण दर्ज करने व रासुका की कार्यवाही किया जाने बाबद्।**

प्रार्थीगण का सादर निवेदन है कि :–

यह कि, मैं फर्यादी उपरोक्त पते पर रहता हुँ व मेरा मो.न. 8349911383 को आरोपी ने मे मरजी के बिना उसके वाटसएप ग्रुप – **संयुक्त माली सैनी समाज आल इंडिया** के नाम से ग्रु में एड किया था व उक्त ग्रुप में कई महिला व लडकिया भी एड है तथा उक्त ग्रुप का एडमि आरोपी है व आये दिन हिन्दु धर्म, हिन्दु देवी देवता व हिन्दु साधुओ को बदनाम करने के लि फोटो व मेसेज इडिट कर कर के डालता है।

यह कि, आरोपी हमेशा ही हिन्दु धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से धार्मिक भावना क आहत करने के लिए उक्त **संयुक्त माली सैनी समाज आल इंडिया** ग्रुप में आये दिन पोस् डालता रहता है व कभी राम भगवान को बदनाम करता है कभी रामायण को काल्पनिक बतात है व आये दिन हिन्दुओ की भावना को आहत करता है जिससे मुझ प्रार्थी कमांक 1 की भावन काफी आहत हुई है। व एक दिन आरोपी ने अयोध्या राम मंदिर के नवनिर्वाचित प्रथम ट्रस्ट पुजारी मोहित पाण्डे के फोटो के साथ छेडखानी इडिटींग करते हुए किसी महिला के साथ अश्लिल फोटो उक्त ग्रुप **संयुक्त माली सैनी समाज आल इंडिया** में डाले गये व उनको बदना करने की साजिश की गई व सोशल मिडिया पर भ्रामक पोस्ट डाली जा रही है व हिन्दु धर्म

जिला इन्दौर
7049108788

# प्रहार महायज्ञ

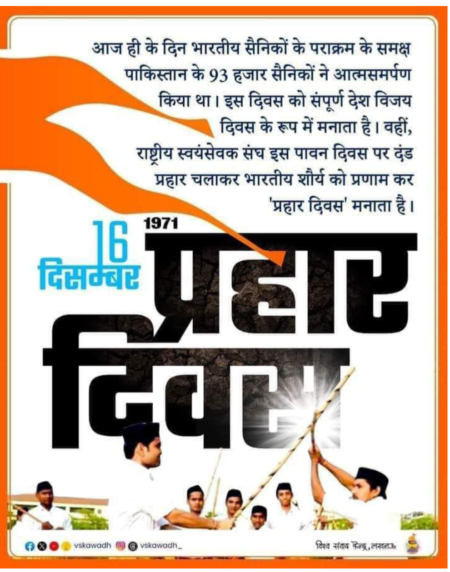


16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के कुल 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस गौरवशाली दिवस के दिन को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में प्रहार लगा कर इस विजय दिवस को मनाया जाता है। ताकि प्रहार लगाने से हिंदू युवाओं के आत्मबल को बढ़ा सके और राष्ट्र की रक्षा लिए सदेव शारीरिक रूप से तैयार रहे।

# श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है। एएसआई सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, ये सब 18 दिसंबर को बाद में तय होगा।

**भगवान श्री कृष्ण विराजमान** और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी।

# अक्षत कलश आमंत्रण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रान्त के माननीय प्रान्त संघचालक डॉ. प्रकाश जी शास्त्री ने संबोधित किया तथा कार्यक्रमों के विषय में जानकारी प्रदान की। प्रेस वार्ता में विश्व हिन्दू परिषद के प्रान्त मंत्री श्री विनोद जी शर्मा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रान्त के सह-कार्यवाह श्री श्रीनाथ जी गुप्ता भी उपस्थित थे। राम मंदिर तीर्थक्षेत्र न्यास की ओर से विहिप द्वारा प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी तथा उपस्थित सभी गणमान्य पत्रकारों को भी पीले चावल के साथ आमंत्रण पत्रक दिया गया।

श्री रामजन्म भूमि मंदिर के लिये 500 वर्ष तक सतत चला संघर्ष, वास्तव में हमारी संस्कृति की अक्षुण्णता का ध्योतक रहा है । स्वतंत्रता के बाद हुआ श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन भारत की अस्मिता और पहचान का संघर्ष था। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारतीय स्वाभिमान एवं गौरव की पुनर्स्थापना है। यह राममंदिर से राष्ट्रमंदिर के अप्रतिम भाव का प्रतीक भी है। जन-जन के मन में प्रभु श्रीराम के प्रति जो आस्था है, उसके प्रकटीकरण का चरम इस अवसर पर दृष्टिगत हो रहा है। समाज में भी अपने अपने मनोभाव से इस अवसर पर विशिष्ट भावों का प्रकटीकरण विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से होगा। इन्ही विषय को लेकर मालवा प्रान्त के 12 हजार से अधिक गांवों तथा 8 हजार से अधिक नगरीय मोहल्लों में हजारों टोलियां घर-घर संपर्क करेंगी। दो हजार से अधिक समयदानी कार्यकर्ता दस दिन के लिए अपने घर से दूर गाँव मोहल्ले में रहकर इस अभियान की टोलियों का गठन करेंगे। हर तहसील में सामाजिक सद्भाव बैठक होंगी। हिन्दू समाज की सभी जाति-समाज के बंधूभगिनी एक जाजम पर बैठ कर जनजागरण की योजना बनायेंगे।

हर घर पर भगवा हर मुख से रामधुन, इसे लेकर नगर नगर समाजजन आयोजन करेंगे। अपने मालवा प्रांत से लगभग 100 से अधिक संत अयोध्या जी में होने वाले आयोजन में सम्मिलित होंगे। इन्दौर में सेवा भारती द्वारा मेरी बस्ती-मेरी अयोध्या के अंतर्गत बस्तियों को राम-मय करने की योजना रहेगी ।

## वरिष्ठ प्रचारक श्री दिगम्बर बाल शिरपुरकर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री दिगम्बर बाल शिरपुरकर जी का 88 वर्ष की आयु में शुक्रवार, 15 दिसम्बर 2023 को प्रातः 10:00 बजे स्वर्गवास हो गया।

अंतिम यात्रा केशव कुटी जबलपुर से 3:30 बजे ग्वारीघाट गई।

ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं परिवार जनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति दे।

***ॐ शांतिः शांतिः शांतिः***

## जिस पथ जावें वीर अनेक

जनौलीखुर्द (देवास) के रोहित देथलिया के मातृभूमि की सेवा करते हुए बलिदान होने का समाचार कष्टदायक है। ईश्वर दिवंगत वीर सपूत की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान और परिजनों को इस दु:ख की घड़ी में संबल प्रदान करें।

# राममय मालवा-निमाड़

MPOnline
एण्ड स्टेशनरी
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मालवा प्रान्त
प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन, शाजापुर
प्रकट कार्यक्रम
श्री गुरुजी स्मृति

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव
पौष शु. द्वादशी, वि.सं. २०८०, सोमवार दि. २२ जनवरी २०२४

॥ जय श्री राम ॥
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
नूतन मंदिर में श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा निमित्त
पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम

# डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति भवन लोकार्पण

**फरवरी माह के मुख्य व्रत, त्यौहार एवं दिवस**

- ता. 08 शिव चतुर्थी व्रत
- ता. 10 गुप्त नवरात्रारम्भ
- ता. 11 पं. दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि
- ता. 15 कवि सुभद्राकुमारी चौहान पु.ति.
- ता. 19 गुरू गोलवलकर जयंती
- ता. 18 महानन्दा नवमी, गुप्त नवरात्र समाप्त
- ता. 28 वीर तेजाजी जयंती

बुक-पोस्ट
**जाग्रत मालवा**
प्रति,

स्वामी- विश्व संवाद केन्द्र के लिए प्रकाशक और मुद्रक दिनेश गुप्ता द्वारा मुद्रांकण ऑफसेट ए-11/डी, पोलोग्राउन्ड इन्दौर म.प्र. से मुद्रित एवं 72, नारायण बाग, जी-1, केसरदीप एवेन्यू इन्दौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक अरूण सपकाले फोन नं. 0731 -3551341